

27-4-22 आज पत्रावली बेशा हुई। वादी व
वादी के वकील अनुपस्थित पत्रावली में बार बार
अवाज दिलावाई गई। लेकिन कोई भी उप.
नहीं आये। न ही कोई सूचना ही प्राप्त हुई।
इससे प्रतीत होता है कि वादी वाप चलाना
ही नहीं चाहते हैं। अतः वादी का वाद अदम
पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली फौसल शुमार होकर गम्बर
से कम है। (बाद तकमिल दारिबल दफ्तर है।)

क/

उपखण्ड अधिकारी
मीराना (अवाकर) राज.

